झाबुआ में बाघ ST-2303

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **बाघ ST-2303** सरिस्का टाइगर रिज़र्व से निकल कर हरियाणा के रेवाड़ी के **झाबुआ के घने वनों** में पहुँच गया है।

मुख्य बिंदु

- नीलगाय **और जंगली सूअर जैसे शिकार से समृद्ध झाबुआ वन, बाघ को प्रचुर मात्रा में भोजन का स्रोत तथा घना आवरण प्रदान करता है, जिससे वन अधिकारियों के लिये उसे पकड़ना या स्थानांतरित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।**
    - गाँवों के निकट बाघ की उपस्थिति से **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ** तथा संभावित मानव-वन्यजीव संघर्ष का भय उत्पन्न हो गया है।
    - **वन अधिकारी बाघ को सुरक्षित रूप से** सरिस्का वापस लाने के लिये **राजस्थान** स्थित अपने **समकक्षों के साथ समन्वय कर रहे हैं।**
- **सरिस्का टाइगर फाउंडेशन ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से बाघों की उनके मूल पर्यावास में वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है,** क्योंकि अन्य रिज़र्व में उनके स्थानांतरण की संभावना है।
- यह घटना भविष्य में बाघों के प्रवास के लिये **सरिस्का और हरियाणा** अरावली **के बीच** वन्यजीव गलियारों **के संरक्षण के महत्त्व** को उजागर करती है।

सरिस्का टाइगर रिज़र्व

- सरिस्का टाइगर रिज़र्व **अरावली पहाड़ियों में स्थित है और राजस्थान के अलवर ज़िले का एक हिस्सा** है।
- इसे **वर्ष 1955 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित** किया गया तथा **बाद में वर्ष 1978 में इसे** **टाइगर रिज़र्व** घोषित कर दिया गया, जिससे यह भारत के **प्रोजेक्ट टाइगर** का हिस्सा बन गया।
- इसमें **खंडहर मंदिर, किले, मंडप और एक महल शामिल हैं।**
- **कंकरवाड़ी किला** रिज़र्व के केंद्र में स्थित है।
- ऐसा कहा जाता है कि **मुगल बादशाह औरंगज़ेब** ने गद्दी के उत्तराधिकार के संघर्ष में अपने **भाई दारा शिकोह को इसी किले में कैद किया था।**

//

मानव-वन्यजीव संघर्ष

जब मानव तथा वन्यजीवों के आमने-आने से संपत्ति, आजीविका तथा जीवन की हानि जैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं

मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण

- कृषि संबंधी विस्तार
- शहरीकरण
- अवसंरचनात्मक विकास
- जलवायु परिवर्तन
- वन्यजीवों की आबादी में वृद्धि तथा इनके क्षेत्र (रेंज) का विस्तार

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभाव

- गंभीर चोटें, जीवन की हानि
- खेतों और फसलों को नुकसान
- जानवरों के खिलाफ हिंसा विस्तार

2003-2004 के दौरान WWF इंडिया ने सोनितपुर मॉडल विकसित किया जिसके माध्यम से समुदाय के सदस्यों को असम वन विभाग से जोड़ा गया और हाथियों को फसली खेतों तथा मानव आवासों से सुरक्षित रूप से दूर करने का प्रशिक्षण दिया गया।

2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने नीलगिरी हाथी गलियारे पर मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें जानवरों के लिये मार्ग के अधिकार (Right of passage) और क्षेत्र में रिसॉर्ट्स को बंद करने की पुष्टि की गई थी।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु सलाह (राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति)

- समस्यात्मक जंगली जानवरों से निपटने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकार (WPA 1972)
- मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण फसल क्षति के लिये मुआवजा (पीएम फसल बीमा योजना)
- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को अपनाने और अवरोधक लगाने के लिये स्थानीय/राज्य विभाग
- पीड़ित/परिवार को घटना के 24 घंटे के भीतर अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान करना

राज्य-विशिष्ट पहलें

- उत्तर प्रदेश- मानव-पशु संघर्ष सूचीबद्ध आपदाओं के अंतर्गत शामिल (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में)
- उत्तराखंड- क्षेत्रों में पौधों की विभिन्न प्रजातियों को उगाकर बायो-फेंसिंग की जाती है
- ओडिशा- जंगली हाथियों के लिये खाद्य भंडार को समृद्ध करने हेतु वनों में सीड बॉल डालना

मानव-वन्यजीव संघर्ष संबंधी आँकड़े

बाघ

	2019	2020	2021
बाघों द्वारा मारे गए मनुष्य	50	44	31
बाघों की प्राकृतिक मृत्यु	44	20	4
बाघों की अप्राकृतिक मृत्यु, शिकार द्वारा नहीं	3	0	2
जाँच के दायरे में बाघों की मौत	22	71	07
शिकार के चलते बाघों की मृत्यु	17	8	4
जब्ती	10	7	13

हाथी

	2018-19	2019-20	2020-21
हाथियों द्वारा मारे गए मनुष्य	-	585	461
ट्रेनों द्वारा मारे गए हाथी	19	14	12
विद्युत आघात द्वारा	81	76	65
शिकार द्वारा	6	9	14
विष देकर	9	0	2

वर्ष 2021-22 में हाथियों द्वारा 533 मनुष्य मारे गए

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/tiger-st-2303-in-jhabua